

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .1869, 1870, 1871 व 1872 / 2014.....जिला.....जयपुर.....

उनवान— मैसर्स जी.टी.कम्प्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरिंग कॉलेज प्रा.लि., जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, संभाग—प्रथम, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तापील में जारी हुए
04.12.2014	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ</u> <u>श्री सुनील शर्मा, सदस्य</u> <u>श्री मदन लाल, सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी द्वारा यह चार अपीलें अपीलीय प्राधिकारी—प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक—पृथक् आदेश दिनांक <u>20.10.2014</u>, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये हैं, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं जिनमें सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, संभाग—प्रथम, जयपुर (जिसे आगे “निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा <u>25</u> सप्तित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम <u>35</u> के तहत कमशः निर्धारण वर्ष <u>2008–09, 2008–09, 2009–10, 2010–11</u> के लिये पारित पृथक—पृथक् निर्धारण आदेश दिनांक <u>09.09.2014</u> में कायम मांग राशि में से कमशः <u>रु.11,78,578/-</u> <u>रु.11,78,578/-</u>, <u>रु.6,98,540/-</u> व <u>रु.8,50,894/-</u> की वसूली पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक लगाने के प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने को विवादित किया गया है।</p> <p>अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा व विभाग की ओर से उप—राजकीय अभिभाषक श्री एन.के.बैद रोक आवेदन पत्र पर <u>बहस हेतु</u> दिनांक <u>26.11.2014</u> को उपस्थित हुये। उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर रोक आवेदन पत्रों पर निर्णय पारित किया जा रहा है।</p> <p>अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्रों को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करने के आदेश में किसी प्रकार के कारणों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जो अस्पष्ट आदेश (<u>Non speaking Order</u>) की श्रेणी में आता है। गुणावगुण पर कथन किया कि अपीलार्थी कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग के क्षेत्र में (शिक्षा व प्रशिक्षण क्षेत्र की गतिविधियों सहित) अग्रणी कम्पनी है। अपीलार्थी द्वारा GT Computer Hardware Engineering College के अभिनाम से चल रहे Computer Hardware Education Centre को विभिन्न संस्थाओं/व्यक्तियों के माध्यम से एक पद्धति के अनुरूप प्रचालित करने हेतु ‘Affiliate’ नियुक्त किये जाते हैं। इन ‘Affiliates’ की उक्त Computer Hardware Education Centre संचालन सम्बन्धी बाध्यताओं की पूर्ति के केवल एकमात्र प्रयोजनार्थ कम्पनी के ट्रेडमार्क, अधिकार चिन्ह, पेटेंट, कॉर्पोरेइट एवं प्रकृतन निर्देशिका को समाविष्ट करते हैं।</p>	लगातार 2

अपील संख्या .1869, 1870, 1871 व 1872/2014/जयपुर

04.12.2014

हुए एक पद्धति (Plan or system) के उपयोग की अनुमति हेतु लाइसेंस/फ्रेन्चाईजी प्रदान किया जाता है। इसअपीलार्थी कम्पनी द्वारा 'Affiliates' के साथ एक निश्चित अवधि के लिये निष्पादित लिखित अनुबंध के तहत कम्पनी द्वारा तैयार किया गया Courseware/Software एवं अन्य प्रोन्नति सामग्री 'Affiliates' को निर्धारित राशि (संबद्ध फीस व रॉयल्टी) वसूल की जाकर उपलब्ध करवाये जाते हैं। इस प्रकार अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उपलब्ध करवाये गये courseware/ software एवं अन्य सामग्री का प्रभावी नियंत्रण एवं अधिकार अपीलार्थी का ही रहने के कारण 'Affiliates' द्वारा इनका केवल GT सेन्टर संचालन के प्रयोजनार्थ उपयोग करने में वेट अधिनियम की धारा 2(35) के तहत माल के उपयोग के अधिकार का कोई अन्तरण नहीं होता है। विद्वान अभिभाषक ने अपने उक्त तर्कों के समर्थन में माननीय आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के राष्ट्रीय इस्पात निगम लिंग बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, कम्पनी वृत्त विशाखापट्टनम के न्यायिक दृष्टान्त (1990) 77 एस.टी.सी. 182 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आन्ध्रप्रदेश राज्य व अन्य बनाम राष्ट्रीय इस्पात निगम लिंग के न्यायिक दृष्टान्त (2002) 126 एस.टी.सी. 114, माननीय देहली उच्च न्यायालय के आयुक्त वेट ट्रेड व टैक्सेज विभाग बनाम इन्टरनेशनल ट्रेवल हाऊस लिंग के न्यायिक दृष्टान्त (2009) 25 वी.एस.टी. 653, (2013) 63 वी.एस.टी. 497 को प्रोद्धरित किया गया।

विद्वान अभिभाषक का कथन है कि व्यवहारी की मुख्य प्राप्तियाँ रॉयल्टी की हैं तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के हिमाचल प्रदेश व अन्य बनाम गुजरात अम्बुजा सीमेंट लिंग व अन्य के न्यायिक दृष्टान्त (2005) 142 एस.टी.सी. 01 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी द्वारा 'Affiliates' से वसूल की गई रॉयल्टी विक्रिय मूल्य का भाग नहीं होने से इस पर वेट अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी प्रकार का कर उद्घरीत योग्य नहीं है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा अग्रिम अभिवाक् किया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा 'Affiliates' को Courseware/Software एवं पद्धति (plan) के अन्तर्गत जी.टी.सेन्टर की मानक प्रवर्तन प्रक्रियाओं से युक्त प्रवर्तन निर्देशिका के साथ विद्यार्थियों के आवेदन—पत्र, प्रोसेप्टस, पहचान—पत्र व पाठ्यक्रम सामग्री, परीक्षा पेपर व स्टॉफ की ट्रेनिंग आदि सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जाती है, जिनको पृथक—पृथक नहीं किया जा सकता। अतः अपीलार्थी का 'Affiliates' के साथ किया गया अनुबंध संयुक्त (Composite) होने से इस पर वित्त अधिनियम 1994 के अन्तर्गत सेवाकर का दायित्व बनता है तथा बिक्री कर उद्घाटनीय नहीं होगा। अपीलार्थी कम्पनी द्वारा सेवा कर का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा अपने उक्त तर्कों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के भारत संचार निगम लिमिटेड व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के न्यायिक दृष्टान्त (2006) 145 एस.टी.सी. 91 को भी प्रोद्धरित किया गया।

लगातार.....3

– 3 – अपील संख्या .1869, 1870, 1871 व 1872 /2014 / जयपुर

04.12.2014

विशिष्ट रूप से अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी के प्रकरणों में ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत एस.बी.सिविल रिट पिटीशन क्रमांक 12033 से 12035 व 12037 /2012 निर्णय दिनांक 23.08.2012 की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा समान बिन्दुओं पर रोक आवेदन पत्र माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे जिन्हें जरिये निर्णय दिनांक 07.08.2012 के अस्वीकार किये गये थे । कथन किया कि माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) के उक्त आदेशों के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.08.2012 को अपास्त कर, वसूली योग्य मांग राशियों पर रोक लगायी गयी है । अतः प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में, प्रकरण व सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में होने का कथन कर, प्रकरणों में वसूली योग्य मांग राशि क्रमशः रु.11,78,578/-, रु.11,78,578/-, रु.6,98,540/- व रु.8,50,894/- पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी ।

विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर अपीलार्थी व्यवहारी के ही प्रकरण में माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.08.2012 को प्रोद्धरित कर, कथन किया कि प्रकरण व सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होने का कथन कर, प्रस्तुत रोक आवेदन पत्रों को अस्वीकार करने का निवेदन किया गया ।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी व हस्तगत प्रकरणों के संबंध में दोनों अवर अधिकारियों व प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का अध्ययन किया गया । इस संबंध में विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी के ही प्रकरणों में समान बिन्दुओं पर कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा पारित स्थगन निर्णय दिनांक 07.08.2012 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय (एस.बी.सिविल रिट पिटीशन क्रमांक 12033 से 12035 व 12037 /2012) द्वारा आदेश दिनांक 23.08.2012 के अपास्त कर, निर्धारण अधिकारी द्वारा कायेम वसूली योग्य मांग राशियों पर रोक लगायी गयी है । अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय दिनांक 23.08.2012 के आलोक में, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र स्वीकार किये जाकर, हस्तगत प्रकरणों में वसूली योग्य मांग राशि क्रमशः रु.11,78,578/-, रु.11,78,578/-, रु.6,98,540/- व रु.8,50,894/- पर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपीलों के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले हो, तक रोक लगायी जाती है एवं अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें ।

अपीलों का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है ।

निर्णय प्रसारित किया गया ।

५.१२.१५
(मदन लाल)

सदस्य

२३
(सुनील शर्मा)
सदस्य